राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.3( )जांच/पंरावि/2015/1466 जयपुर, दिनांक 11.3.16

:: परिपत्र ::

संभागीय आयुक्त (समस्त)

विषय :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 सपठित धारा 39 के तहत चुनाव पूर्व की निर्योग्यताओं के प्रकरणों में कार्यवाही बाबत।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की वृहद्पीठ द्वारा डी.बी:विशेष अपील संख्या 236/06 श्रीमती समीरा बानो बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.04.07 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की निर्योग्यता के निर्धारण हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 43 सपठित राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये जिला न्यायाधीश को ही सक्षम अधिकारी बताया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23 के अंतर्गत ऐसी निर्योग्यता के बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

इसी संबंध में रिट याचिका संख्या 16070/15 भूपेन्द्र सिंह हाडा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 38 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.16 में स्पष्ट की गई व्यवस्था के क्रम में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ. 3(77)परावि/जांच/ ग्राविप/सिरोही/11/2775 दिनांक 26.08.13 को प्रत्याहरित करते हुये पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों/सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निम्मानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. चुनाव पूर्व की अवधि के नैतिक अद्यमता से संबंधित अपराधों के मामलों में विचाराधीन कार्यवाही को सक्षम आपराधिक न्यायालय में आरोप विरचित होने तक लम्बित रखा जावे। नैतिक अद्यमता संबंधी मामले में आरोप विरचित होने के पश्चात् धारा 39 कार्यवाही को पुर्नस्थापित करते हुए धारा 38 (4) के तहत निलम्बन की कार्यवाही की जावे।

2. समीरा बानो प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक चुनाव पूर्व की निर्योग्यताओं से संबंधित अन्य प्रकरणो में विचाराधीन कार्यवाहियों को लंबित रखा जावे।

3. चुनाव पश्चात् की निर्योग्यताओं/दुराचरण के मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों/सादस्यों को हटाये जाने, निलंबित किये जाने और सदस्यता समाप्त किये जाने हेतु धारा 38, धारा 38 (4) एवं धारा 39 के तहत निर्धारित प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावे।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त